न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 10/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. प्रदीप खण्डेलवाल पुत्र स्व. रमेश चन्द्र खण्डेलवाल, फर्म पर्व फूड्स, ए–2 नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल , शिवाजी गार्डन के सामने , सेक्टर –5, आर.सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा, 2. अंजली खण्डेलवाल पत्नि प्रदीप खण्डेलवाल , फर्म पर्व फूड्स , ए–2, नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल, शिवाजी गार्डन के सामने , सेक्टर –5, आर.सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 एवं 58

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 14.06..2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी प्रदीप खण्डेलवाल पुत्र स्व. रमेश चन्द्र खण्डेलवाल की फर्म पर्व फुड्स, ए –2 नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल , शिवाजी गार्डन के सामने, सेक्टर – 5 आर. सी. व्यास कॉलोनी जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) अन्य बेकरी आईटम व केक इत्यादि विक्रय कर रहा था। प्रदीप खण्डेलवाल पुत्र स्व. रमेश खण्डेलवाल मैसर्स पर्व फूड्स, ए–2, नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल , शिवाजी गार्डन के सामने, सेक्टर – 5 आर.सी.व्यास कॉलोनी ,जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता बिस्किट्स (IMOC ब्राण्ड) के 350–350 ग्राम के कुल 15 सील्ड पोलि पैकेट आम जनता को उपभोग हेतु रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित

न्याय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला ...

द्वारा मिसब्राण्डेड बॉईड बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 14.02.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 14.03.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वंय उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) नमूना एक्स–1368 में Batch No.- Not Given , Date of Manufacturing/Pkg. – Not Given, Nutritional Information – Not Given , List of Ingredients – Not Given. Contravention of Regulations No. 2.2.1.8,2.2.1.9,2.2.2.2 and 2.2.2.3 of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उन्होनें जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। बाजार से सामान क्रय करके ही बिस्किट का निर्माण किया जाता हैं। बेच नं. आदि के लिए भविष्य में ध्यान रखेगें। पहली गलती मानते हुये प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./1048/एक्ट/2022/909 दिनांक 18.08.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना सं0 एक्स–1368 **बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड)** मिसब्राण्डेड होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) नमूना एक्स–1368 में Batch No.- Not Given , Date of Manufacturing/Pkg. – Not Given, Nutritional Information – Not Given , List of Ingredients – Not Given. Contravention of Regulations**

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ...)

No. 2.2.1.8,2.2.1.9,2.2.2.2 and 2.2.2.3 of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड बिसकिट्स (IMOC ब्राण्ड) का विकय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 25,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 प्रदीप खण्डेलवाल पुत्र स्व. रमेश चन्द्र खण्डेलवाल, फर्म पर्व फूड्स , ए-2 नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल , शिवाजी गार्डन के सामने , सेक्टर -5, आर.सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा, निवासी - 1 -ए- 38 आर. सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 अंजली खण्डेलवाल पत्नि प्रदीप खण्डेलवाल, फर्म पर्व फूड्स , ए-2 नटराज प्लाजा , श्रीनाथ सर्किल , शिवाजी गार्डन के सामने , सेक्टर -5, आर.सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा, निवासी - 1 -ए- 38 आर. सी.व्यास कॉलोनी , भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)